संख्या-8/2026/301/35-4-2026/35-4099/27/2024

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 23 मार्च, 2026

विषय: जनपद गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत कार्य की अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत जनपद-गोरखपुर में शासनादेश संख्या-12/2024/121/35-4-2024/35-4099/27/2024, दिनांक 08 मार्च, 2024 द्वारा स्वीकृत 89 कार्यों में से 10 कार्यों की रू. **975.73** लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 **585.44** लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- आपके पत्र संख्या-1123/त्व0अ0वि0यो0/2025-26, दिनांक 08 जनवरी, 2026 एवं पत्र संख्या-1270/त्व0अ0वि0यो0/2025-26, दिनांक 09 फरवरी, 2026 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत 89 कार्यों में से 10 कार्यों की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपभोग किया जाना एवं गठित अनुबंध से हुयी बचत की धनराशि को घटाने के पश्चात अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत 10 कार्यों हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि एवं गठित अनुबंध के फलस्वरूप हुई बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 **234.86** लाख (रूपये दो करोड चौतीस लाख छियासी हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू. लाख में)

	सम्बंधित शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2024 पर अंकित क्रमांक एवं कार्य का नाम		**अनुमोदित लागत**	**प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि**	**बचत**	**अवमुक्त धनराशि**
	क्रं	**कार्य का नाम**				
1	1	महादेव झारखण्डी टू0नं0 01 में शक्ति हार्डवेयर से चौधरी निवास होते हुये यशोदा हार्डवेयर तक व	135.43	81.26	26.93	27.24

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		लिकं गली में आर०सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।				
2	3	बाबा राघव दास नगर में जवाहर लाल मौर्या के मकान से नूतन श्रीवास्तव के मकान एवं जी०ओ० टावर से गीता सिंह के मकान तक सी०सी० सड़क, साईड पटरी इण्टरलाकिंग व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	103.25	61.95	24.99	16.31
3	5	सेमरा बाबा राघवनगर देवनाथ चौहान से शैलेन्द्र भारती होते हुए सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	122.11	73.27	32.84	16.00
4	20	इन्द्रप्रस्थ कालोनी में मुख्य मार्ग से ट्रांसफामर से यादव मेडिकल तथा विभिन्न कच्ची सड़कों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का कार्य।	119.31	71.59	21.47	26.25
5	28	नकहा के अन्तर्गत विजय मल्ल के मकान से समय माता मन्दिर तक व अन्य गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	146.72	88.03	27.87	30.82
6	43	मुहल्ला पार्वतीनगर में मुख्य मार्ग से विकम सिंह के मकान होते हुये रामगढ़ताल बन्धे तक एवं लिंक गलियो में नाली व इ०ला० का कार्य।	52.97	31.78	1.11	20.08
7	44	गिरधरगंज में झारखण्डी मंदिर के पीछे से विजय के घर होते हुये बच्चा पाण्डेय से सुरेन्द्र सिंह दरोगा तक नाली व इ०ला० का कार्य।	40.93	24.56	0.31	16.06
8	45	आवास विकास मुख्य मार्ग से सुनील तिवारी के घर होते हुये स्वतंत्र कुमार मल्ल के मकान होते साहनी सिपाही के मकान तक	83.6	50.16	1.67	31.77

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

		नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।				
9	81	आजाद चौक (रूस्तमपुर) मो० चिलमापुर में मजार से ट्रांसफार्मर होते हुये चिलमापुर मुख्य मार्ग पर संलग्न विभिन्न गलियों में आर०सी०सी० नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	80.94	48.56	1.5	30.88
10	85	संत झूलेलाल नगर में श्री राम प्रोविजन स्टोर से एम०टी०एन० आइडियल स्कूल तक तथा डॉ० इरशाद से ट्यूबेल तक सी०सी० सड़क व नाला का निर्माण कार्य।	90.47	54.28	16.74	19.45
		योग	**975.73**	**585.44**	**155.43**	**234.86**

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2024 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
4. प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
5. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
6. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2026 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू.2,34,86,000/-(रूपये दो करोड चौतीस लाख छियासी हजार) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 5054043370304 शहरी क्षेत्रों में सड़कों के चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव ।

संख्या-8/2026/301(1)/35-4-2026/35-4099/27/2024-तद्दिनांक|

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
8- नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बंधित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
15- अधिशासी अभियंता, नगर निगम, गोरखपुर।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
दुर्गा प्रसाद
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in